

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ 28()पंरावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./सेवा.नि./2017/ 815 जयपुर,दिनांक: 23/02/17

:: आ दे रा ::

निम्न कार्मिक पंचायत प्रसार अधिकारियों के रूप में अधीनस्थ सेवा में कार्यरत थे, को अधिवार्षिता की आयु पूरी कर लेने से उनके नाम के सामने अंकित तिथि से, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम पंचायत प्रसार अधिकारी	वर्तमान पस्थापित स्थान	सेवानिवृत्ति तिथि
1	श्री हीरा लाल सालवी	पं.स. मावली (उदयपुर)	30.04.2017
2	श्री चतुर्भुज कुमावत	पं.स. बेंगू (चित्तौड़गढ़)	30.04.2017
3	श्री गोपाल लाल दरोगा	पं.स. माण्डलगढ़ (भीलवाडा)	31.05.2017
4	श्री नरपत सिंह नाथावत	जिला परिषद जयपुर	31.07.2017
5	श्री जनार्दन सिंह	जिला परिषद कोटा	30.09.2017

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित पंचायत प्रसार अधिकारियों के विरुद्ध आज तक:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से

(राजेन्द्र शंखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाडा, जयपुर, कोटा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारी का विभागीय जाँच बकाया नहीं होने का प्रमाणीकरण आप द्वारा प्रेषित प्रमाण के आधार पर किया गया है।
3. विकास अधिकारी, पं.सं. मावली (उदयपुर), बेंगू (चित्तौड़गढ़), माण्डलगढ़ (भीलवाडा)
4. आदेश में वर्णित संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारी
5. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश / रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव